न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या 70/2016

वादीगण

01. किशनलाल पुत्र घेवरराम
02. मदनलाल पुत्र घेवरराम
03. शंकरलाल पुत्र मादाराम
04. सोहनलाल पुत्र मादाराम
05. मोहनलाल पुत्र रूपाराम
06. नेमाराम पुत्र रूपाराम
07. रामचन्द्र पुत्र रूपाराम
08. लक्ष्मणराम पुत्र रूपाराम
09. रतनलाल पुत्र रूपाराम जागिण माली निवासीगण— बेरा कागावा, सोजतसिटी, तहसी— सोजत जिला— पाली

बनाम **प्रतिवादीगण**

01. लालसिंह पुत्र चुन्नीलाल
02. ओमप्रेकाश पुत्र चुन्नीलाल
03. गणपतलाल पुत्र चुन्नीलाल
04. घीसाराम पुत्र मादाराम जातियान— माली निवासयान— बेरा कागावा, सोजतसिटी, तहसील— सोजत, जिला— पाली।
05. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला— पाली।

राजस्व अन्तर्गत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

स्थितिः—।

01. श्री मनोहर चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
02. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 03 उपस्थित।
03. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित।

—ः निर्णय :— दिनांक 12/10/22

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण और प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी क़ब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक 02 पटवार क्षेत्र सोजत चक 02 तहसील सोजत में खसरा नम्बर 588/6, 589 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.750 कुल लगान 18.60 स्थित है। उपरोक्त आराजी में वादी संख्या 01 का 01/12 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 01/12 हिस्सा, वादी संख्या 03 का 01/06 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 01/06 हिस्सा, वादी संख्या 05 से 09 का 01/06 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 01/06 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 01/06 हिस्सा खातेदारी हक हकुक कब्जा काश्त का राजस्व रेकर्ड के अनुसार है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी हक हकुक कब्जा काश्त की स्थित है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 संयुक्त रूप से काबिजा काश्त चले आ रहे है। वादस्थ कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में मौके पर किसी प्रकार का कोई भौतिक बंटवाडा किया हुआ नहीं है तथा न ही बीच में किसी प्रकार की माठे अंकित की हुई है। वादीगण शान्तिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात का विधिवत बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया हुआ नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि का विधिवत बंटवाडा नहीं होने से वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच हमेशा अपने हिस्साकशी एवं धोरा पाली एवं माठो को

लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 01 से 04 बार बार टालमटोल करते रहे तथा आश्वासन देते कि वादस्थ कृषि भूमि में सभी का बराबर बराबर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार है तथा सभी काबिज है, कभी भी आवश्यकता होगी तो बंटवाडा करवा देंगे। लेकिन दिनांक 17.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाए बगैर अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से पेड पौधे कांटने शुरू कर दिया, तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आपस में तहसील कार्यालय चलकर करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानिया कहा कि वादस्थ कृषि भूमि में अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर चारो तरफ तारबन्दी कर देंगे तथा वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करके रहेंगे एवं वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा कई नही होने देंगे। जिसका प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा अपने हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा कर वादस्थ कृषि भूमि किसी अन्य शख्य को बेचान, हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है। इसलिए वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा। इसलिए यह वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश है। वाद हेतु दिनांक 17.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 से 03 अपने हक हिस्से से अधिक कृषि भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करने की नियत से मौके पर पेड पोधे कांटने लगे तथा वादीगण के द्वारा मना करने पर नहीं मानने एवं वादस्थ कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तहसील कार्यालय चलकर करवाने हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा बंटवाडा करवाने से साफ इंकार कर देने तथा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने तथा बेचान हस्तान्तरा करने की धमकीयां देने से बमुकाम सोजत में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वादीगण ने यह वाद पेश कर वादीगण और प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक 02 पटवार क्षेत्र सोजत चक 02 तहसील सोजत में खसरा नम्बर 588/6, 589 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.750 कुल लगान 18.60 वादस्थ भूमि का बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाया जाकर बाद तरमीम लगान मुकर्रर करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को पाबंद किया जावे ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 01.07.2016 प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की ओर से श्री भुण्डाराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 23.08.2016 को प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादी संख्या 05 को बावजूद तामीली सूचना बार–बार आवाजें दिलाए जाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.02.2022 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कार्यवाही की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 04 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश करने में विफल रहे हैं। अतः दिनांक 22.02.2022 को जवाब दावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। लिहाजा दिनांक 22.02.2022 को प्रा0 डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय खसरा नम्बर 588/6 रकबा 0.4850 हैक्टर किस्म मेहन्दी भूमि की भूमि का पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2022/2362 दिनांक 27.09.2022 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है सरहद मौजा सोजत चक 02 पटवार क्षेत्र सोजत चक 02 तहसील सोजत में खसरा नम्बर 588/6, 589 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.750 कुल लगान 18.60 वादस्थ भूमि की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकवा	किस्म
01.	किशनलाल मदनलाल पि. घेवाराम कौम माली सा. देह खातेदार	588/6	0.1291	मेहन्दी
	योगः–	01	0.1291	मेहन्दी
02.	शंकरलाल पुत्र मादाराम कौम माली सा. देह खातेदार रहन– बीओबी शाखा सोजत।	588/7,	0.0711,	मेहन्दी
		589	0.0580	मेहन्दी
	योगः–	02	0.1291	मेहन्दी
03.	सोहनलाल पुत्र मादाराम कौम माली स. देह	588/8,	0.0712	मेहन्दी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

	खातेदार			
		589 / 1	0.0580	मेहन्दी
	योगः–	02	0.1291	मेहन्दी
04.	घीसाराम पुत्र मादाराम कौम माली सा. देह खातेदार	588 / 9	0.0712	मेहन्दी
		589 / 2	0.0580	मेहन्दी
	योगः–	02	0.1291	मेहन्दी
05.	मोहनलाल नेमाराम रामचन्द्र लक्ष्मणराम, रतनलाल पि. रूपाराम कौम माली सा. देह खातेदार	588 / 10	0.0712	मेहन्दी
		589 / 3	0.0580	मेहन्दी
	योगः–	02	0.1291	मेहन्दी
06.	लालसिंह ओमप्रकाश गणपतलाल पि. चुन्नीलाल कौम माली सा. देह खातेदार	588 / 11	0.0712	मेहन्दी
		589 / 4	0.0580	मेहन्दी
	योगः–	02	0.1291	मेहन्दी

वादी की भूमि में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 12/10/22 को सरे ईजलास जरिये (द्वारा) लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)